न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 07/2023

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना सरूपगंज जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री लालुराम पुत्र श्री भगवांनलाल, जाति गाडरी(देवासी) निवासी सेगवा पुलिस थाना चित्तौडगढ सदर जिला चित्तौडगढ हाल संचालक आशापुरा हाईवे होटल कोदरला पुलिस थाना सरूपगंज जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 26.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.08.2021 को आशापुरा हाईवे होटल सरहद कोदरला के होटल परिसर में स्थित कमरे में कुल 1400 लीटर अवैध डीजल ड्रमों, जरीकन एवं बोतलों में भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई। प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 19.08.2021 को आशापुरा हाईवे होटल सरहद कोदरला के होटल संचालक श्री लालुराम पुत्र श्री भगवानलाल जाति गाडरी(देवासी) निवासी सेगवा पुलिस थाना चित्तौडगढ सदर जिला चित्तौडगढ हाल संचालक आशापुरा हाईवे होटल कोदरला पुलिस थाना सरूपगंज जिला सिरोही द्वारा अवैध डीजल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे वाले होटल परिसर में स्थित [illegible] प्लास्टिक के नीले रंग के 220 लीटर क्षमता वाले कुल 10 ड्रम, जिनमें से एक [illegible] खाली व 9 ड्रम तरल पदार्थ से भरे हुए थे एवं एक 50 लीटर [illegible] 30 [illegible] के जरीकन एवं एक 20 लीटर की प्लॉस्टिक की बोतल तरल पदार्थ से भरी हुई पाई गई। उक्त तरल [illegible] डीजल जैसा प्रतीत होने से उसकी माप की गई, जिसमें पहले ड्रम में 180 लीटर, दूसरे ड्रम में 170 लीटर, तीसरे में 140 लीटर, चौथे में 180 लीटर, पांचवे में 160 लीटर, छठे में 130 लीटर, सॉतवें में 120 लीटर, आठवे में 130 लीटर एवं नवे ड्रम में 140 लीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:42:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

डीजल भरा हुआ पाया गया, इसी प्रकार 50 लीटर की जरीकन में 30 लीटर डीजल एवं 35 लीटर की जरीकन में 10 लीटर डीजल एवं 20 लीटर की बोतल में 10 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार कुल 1400 लीटर डीजल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी से उक्त डीजल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के डीजल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी। पूर्व में इनको कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता हैं। अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 19.08.2021 को आशापुरा हाईवे होटल सरहद कोदरला के होटल संचालक श्री लालुराम पुत्र श्री भगवानलाल जाति गाडरी(देवासी) निवासी सेगवा पुलिस थाना चित्तौडगढ सदर जिला चित्तौडगढ हाल संचालक आशापुरा हाईवे होटल कोदरला पुलिस थाना सरूपगंज जिला सिरोही द्वारा अवैध डीजल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे वाले होटल परिसर में स्थित कमरे में प्लॉस्टिक के नीले रंग के 220 लीटर क्षमता वाले कुल 10 ड्रम, जिनमें से एक ड्रम खाली व 9 ड्रम तरल पदार्थ से भरे हुए थे एवं एक 50 लीटर का एवं एक 35 लीटर का जरीकन एवं एक 20 लीटर की प्लॉस्टिक की बोतल तरल पदार्थ से भरी हुई पांई गई। उक्त तरल पदार्थ डीजल जैसा प्रतीत होने से उसकी माप की गई, जिसमें पहले ड्रम में 180 लीटर, दूसरे ड्रम में 170 लीटर, तीसरे में 140 लीटर, चौथे में 180 लीटर, पांचवे में 160 लीटर, छठे में 130 लीटर, सातवें में 120 लीटर, आठवे में 130 लीटर एवं नवे ड्रम में 140 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया, इसी प्रकार 50 लीटर की जरीकन में 30 लीटर डीजल एवं 35 लीटर की जरीकन में 10 लीटर डीजल एवं 20 लीटर की बोतल में 10 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार कुल 1400 लीटर डीजल अवैध भरा हुआ पाया गया। अप्रार्थी से उक्त डीजल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 1400 लीटर डीजल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:42:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए कुल 1400 लीटर डीजल एवं उपयोग में लिए गए ड्रम, जरीकन व बोतल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:42:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner